

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-3/101/2016/10-11/10/2198

भोपाल, दिनांक 28.7.17

प्रति,

वनसंरक्षक,

सामान्य वनमण्डल कटनी,

मध्यप्रदेश।

विषय:- बुरहानपुर जिले के अंतर्गत भावसा मध्यम सिंचाई तालाब निर्माण हेतु 275.04 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

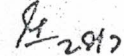
संदर्भ:- 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एफ-3/101/2016/10-11/10/1821 दिनांक 27.06.2017

2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./5231, दिनांक 19.07.2017

—0—

विषयांतर्गत में संदर्भित पत्र क्रमांक-1 से 43.272 हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक-2 से अवगत कराया है, कि शेष बची 43.272 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उमरिया जिले के राष्ट्रीय राज्य मार्ग 78 में प्रभावित 9.882 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में 9.882 हेक्टेयर गैर वन भूमि की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार की जा चुकी है। इस प्रकार खसरा नम्बर 130 अवशेष रकबा 43.272 हेक्टेयर में से 33.390 हेक्टेयर भूमि ही वृक्षारोपण योजना हेतु शेष है।

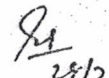
अतः आप 33.390 हेक्टेयर की 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त जबलपुर कार्यालय को प्रेषित करें। तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रति वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल बुरहानपुर को प्रेषित करें।


(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ० क्रमांक/एफ-3/101/2016/10-11/10/2199 भोपाल, दिनांक 28.7.17
प्रतिलिपि-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त/खण्डवा वृत्त मध्यप्रदेश।
 2. वन मंडल अधिकारी (सामान्य) वन मंडल, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

न्यायालय कलेक्टर कटनी

राजस्व आदेश अनुवृत्ति - पत्र

प्रकरण क्रमांक/ 418/अ-19/2012-13

विषय:- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन बावत।

अवकाश कक्षा के चर्चा परियोजना

2

3

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद से प्राप्त।

4.13 अवलोकन किया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बुरहानपुर ने अपने पत्र क्रमांक/1479/कार्य-1/2013 बुरहानपुर दिनांक 04.06.2013 के द्वारा भावसा मध्यम सिंचाई योजना हेतु वांछित वैकल्पिक वन भूमि रकवा 276.84 हे० की माँग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों से जाँच प्रतिवेदन मंगाया गया।

अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि वैकल्पिक भूमि हेतु ग्राम किवलारी प०ह०नं० 33 रा०नि०मं० बहोरीबंद स्थित भूमि ख०नं० 130/1 रकवा 74.58 हे० में से शेष बची 69.68 हे० का चयन किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर हल्का पटवारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया एवं इशतहार जारी कर आपत्तियाँ आमंत्रित की गई, नियत दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त भूमि शासकीय बड़े झाड़ का जंगल दर्ज अभिलेख है। ग्राम का कुल रकवा 989.58 हे० है, चरनोई का रकवा 308.41 हे० है, 02 प्रतिशत सुरक्षित रकवा 19.79 हे० होता है। कुल रकवा 74.58 हे० में से 4.90 हे० भूमि जिला बुरहानपुर के अजनटोह तालाब योजना हेतु वैकल्पिक भूमि के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अतः ख०नं० 130/1 कुल रकवा 74.58 हे० में से 69.68 हे० भूमि शेष बचती है। वर्तमान में उक्त भूमि पर महुआ, बांस, सेझा, पलाश आदि प्रजाति के वृक्ष लगे हुये हैं, मौके पर उक्त भूमि पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं है। उक्त विषय हेतु भूमि उपयुक्त है। प्रकरण के साथ संलग्न नक्शे में आवेदित भूमि को लाल स्याही से अंकित किया गया है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अप्राप्त है। अतः ग्राम किवलारी प०ह०नं० 33 रा०नि०मं० बहोरीबंद स्थित भूमि ख०नं० 130/1 कुल रकवा 74.58 हे० में से 69.68 हे० वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना उपयुक्त बताया है।

मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों, जाँच प्रतिवेदनों का विस्तृत रूप से परिशीलन किया गया। ग्राम किवलारी प०ह०नं० 33 रा०नि०मं० बहोरीबंद स्थित भूमि ख०नं० 130/1 कुल रकवा 74.58 हे० में से 69.68 हे० भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा अधीनस्थ न्यायालयों ने की है।

अतः अधीनस्थ न्यायालयों के जाँच प्रतिवेदनों से सहमत होते हुये बुरहानपुर जिले की भावसा मध्यम सिंचाई योजना हेतु ग्राम किवलारी प०ह०नं० 33 रा०नि०मं० बहोरीबंद स्थित भूमि ख०नं० 130/1 कुल रकवा 74.58 हे० में से 69.68 हे० वैकल्पिक वन भूमि जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय बड़े झाड़ का जंगल दर्ज है, वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है, आदेश की प्रति अधीक्षक, भू-अभिलेख को दी जाये एवं तहसीलदार बहोरीबंद 07 दिवस में अभिलेख दुरुस्त करें।

9.9.13

कलेक्टर
बुरहानपुर (कटनी)

तहसीलदार
बहोरीबंद